न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री सीताराम जाट, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 57 /2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/ 55

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकिण्ड फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी श्री अक्षय खण्डेलवाल	बनाम	1. रामावतार शर्मा पुत्र भागुराम 2. भागुराम पुत्र भींवाराम प्रथम पता– पट्टा नम्बर 35, बुक नम्बर 2, ग्राम–बल्दू, ग्रामपोस्ट–बल्दू, पुलिस थाना लाडनूं, तहसील–लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन द्वितीय पता– वार्ड नं. 7, बल्दू, जिला डीडवाना–कुचामन 3. बसन्ती देवी प्रथम पता– पट्टा नम्बर 35, बुक नम्बर 2, ग्राम–बल्दू, ग्रामपोस्ट–बल्दू, पुलिस थाना लाडनूं, तहसील–लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन द्वितीय पता– वार्ड नं. 7, बल्दू, निम्बीजोधान, जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋणि की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के संबंध में।

आदेश

दिनांकः 19/10/23

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 5,25,000/–(अक्षरे पांच लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) दिनांक 16.02.2022 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति– पट्टा नम्बर 35, बुक नं. 2, ग्राम–बल्दू, ग्राम–पोस्ट बल्दू, पुलिस थाना–लाडनू, तहसील–लाडनू, जिला– डीडवाना–कुचामन, कुल क्षेत्रफल 849 वर्गफीट जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में खाली भूमि केशर चन्द ब्राहम्ण, पश्चिम में ओपन चौक एण्ड निकाल पासर, उत्तर में भूमि इन्दरचन्द काकानीज सन्स व दक्षिण में भूमि श्री केशरचन्द ब्राहम्ण स्थित है, जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्[illegible] निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक [illegible] नियम[illegible]ार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 20.05.2022 को [illegible] घोषित कर दिया गया व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:32:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 5,27,715.84/–(अक्षरे पांच लाख सत्ताईस हजार सात सौ पन्द्रह रूपये चौरासी पैसे मात्र) दिनांक 28.06.2022 तक शेष देय व दिनांक 29.06.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 30.06.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 5,27,715.84/–(अक्षरे पांच लाख सत्ताईस हजार सात सौ पन्द्रह रूपये चौरासी पैसे मात्र) दिनांक 28.06.2022 तक शेष देय व दिनांक 29.06.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हैं।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **पट्टा नम्बर 35, बुक नं. 2, ग्राम–बल्दू, ग्राम–पोस्ट बल्दू, पुलिस थाना–लाडनू, तहसील–लाडनू, जिला– डीडवाना–कुचामन, कुल क्षेत्रफल 849 वर्गफीट जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में खाली भूमि केशर चन्द ब्राहम्ण, पश्चिम में ओपन चौक एण्ड निकाल पासर, उत्तर में भूमि इन्दरचन्द काकानीज सन्स व दक्षिण में भूमि श्री केशरचन्द ब्राहम्ण स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **रूपये 5,25,000/–(अक्षरे पांच लाख पच्चीस हजार मात्र) दिनांक 16.02.2022** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा [illegible] अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो [illegible] गये उस अनुरोध पर –(क) उस आस्ति और उससे संबंधित [illegible] प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:32:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Scanned with OKEN Scanner

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डीडवाना–कुचामन को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– पट्टा नम्बर 35, बुक नं. 2, ग्राम–बल्दू, ग्राम–पोस्ट बल्दू, पुलिस थाना–लाडनू, तहसील–लाडनू, जिला– डीडवाना–कुचामन, कुल क्षेत्रफल 849 वर्गफीट जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में खाली भूमि केशर चन्द ब्राहम्ण, पश्चिम में ओपन चौक एण्ड निकाल पासर, उत्तर में भूमि इन्दरचन्द काकानीज सन्स व दक्षिण में भूमि श्री केशरचन्द ब्राहम्ण स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(सीताराम जाट, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Date: 2024.02.01 11:32:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner